पंजीकरण व अनुज्ञापन, अनिवार्य नमूना सूचन, गुणवत्ता विश्लेषण कार्य–गति और प्रलेखन एवं संबंधित मापांकों केलिए वेब ऐप्लिकेशन की रूपरेखा, विकास एवं कार्यान्वयन

केलिए

निविदा सूचना

(एम एस टी सी इ–निविदा सं.–स्पाइसबी18–19/ईटी/2)

ई डी पी/एस डब्ल्यू/क्वाडमास/अपग्रेड/2018 27-06-2018

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच की एक अन्तर्राष्ट्रीय कडी है। बोर्ड के, विभिन्न स्थानों में, प्रादेशिक कार्यालय हैं। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्यातकों, ब्यौहारियों एवं नीलामकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्तीकरण किया जाता है। वर्तमान में,विनिर्दिष्ट देशों को मसालों/मसाले उत्पादों के निर्यात केलिए लदान-पूर्व नमूनन और एकाध पैरामीटरों का विश्लेषण अपेक्षित है।

2.कार्य की संभावना

इस प्रयोग को पी एच पी/मरिया डी बी के नूतन वर्शन व कार्यक्षमताओं में विकसित करना चाहिए और कार्यक्षमताओं, जिसकेलिए मोबाइल ऐप की आवश्यकता है, को एण्ड्रोइड (अद्यतन दो प्रमुख वर्शनों में समर्थित होना चाहिए) में विकसित करना चाहिए।

निम्नलिखित प्रक्रिया/मापांकों को स्वचालित करना इस परियोजना का उद्देश्य है:

1. पंजीकरण व अनुज्ञप्तीकरण
2. अनिवार्य लदान-पूर्व नमूनन, जांच, भराई और अनुवर्ती कार्रवाइयां (निर्यात समर्थन प्रणाली ई एस एस)
3. व्यापार सूचना प्रणाली
4. आयतित देशों से रैपिड एलेर्ट तथा अनुवर्ती कार्रवाइयां
5. आयात : अग्रिम प्राधिकरण
6. गुणवत्ता विश्लेषण कार्य गति, रिपोर्टिंग और प्रलेख प्रबंधन प्रणाली (क्वाडमास)
7. अन्य संबंधित मापांक

स्पाइसेस बोर्ड ने पिछले कुछ समय से विभिन्न तकनोलजियों में विकसित किए उपर्युक्त मापांकों केलिए स्वतंत्र प्रणालियों का कार्यान्वयन किया है। नई प्रणाली में उपर्युक्त सभी मापांकों की कार्यक्षमताओं को एकीकृत करना अपेक्षित है। इस परियोजना की संभावना में मौजूदा एकल प्रणालियों के स्थान पर एकीकृत प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन तथा लदान-पूर्व नमूनन एवं भराई हेतु एक मोबाइल एप का विकास शामिल है। इस प्रस्तावित प्रणाली का प्रयोग मुख्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के विपणन एवं गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों, निर्यातकों/ब्यौहारियों/नीलामकर्ताओं और पर्यवेक्षकों / नमूनन एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मौजूदा प्रणाली से नई प्रणाली में दित्तों का अंतरण दूसरी अपेक्षा है।

एकीकृत प्रणाली की कार्यकारी अपेक्षाओं को **अनुबंध-1** में दिया गया है।

इस परियोजना को निष्पादित करने केलिए मौजूदा प्रणाली को सही रूप से समझना आवश्यक है।

3. एजेंसी को सूचना

क) स्पाइसेस बोर्ड, प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

ख) निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड किसी भी समय, किसी भी कारणवश, अपनी ही पहल पर या किसी आमंत्रित फर्म के स्पष्टीकरण के अनुरोध की प्रतिक्रिया में निविदा–दस्तावेज़ का संशोधन कर सकता है। किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना वेबसाइट में उसके प्रकाशन द्वारा बोलीदाताओं को दी जाएगी और वह उन पर बाध्यकारी होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक के अनुसार निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।

आवेदक को अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा में कोई बदलाव या संशोधन केलिए स्पाइसेस बोर्ड का वेबसाइट देखना अपेक्षित है।

4. पात्रता मानक

इ–निविदा प्रस्तुत करते समय पात्रता–मानक के प्रमाण केलिए समर्थन दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।

निम्नलिखित पात्रता–मानक पूरा करने वाली कंपनियों/फर्मों/संगठनों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाएगी। **पात्रता–मानक प्रमाणित करने केलिए निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था के अन्तर/बहिर्नियम, पिछले तीन सालों के तुलन पत्र, कार्य–आदेश, परियोजना पूर्ति प्रमाणपत्र और वेब ऐप्लिकेशन यू आर एल को अपलोड किया जाना है।**

i. विक्रेता को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में(2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18)कम से कम तीन वेब एप्लिकेशनों का सफ़लतापूर्वक विकास किया हुआ होना चाहिए और प्रत्येक परियोजना कम से कम 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। उक्त सभी ऐप्लिकेशन भारत के किसी सरकारी संगठन (केंद्रीय सरकार/राज्य/उपक्रम/स्वायत्त निकाय) या किसी भारतीय सूचित कंपनी केलिए विकसित किए हुए होने चाहिए।

ii. बिन्दु(i) के अधीन सूचित ऐप्लिकेशनों में से कम से कम एक का विकास J2EE/PHP-MySQL/MariaDB/PostgreSQL में किया होना चाहिए।

iii. बिन्दु (i) व (ii) के अधीन सूचित सभी ऐप्लिकेशनों को एक सीधे कार्य–आदेश के तहत निष्पादित किया हुआ होना चाहिए (न कि किसी उप–करार के रूप में) ।

iv. बिन्दु (ii) के अधीन सूचित सभी ऐप्लिकेशन इंटेरनेट (http or https) में उपलब्ध होने चाहिए।

v. प्रतिभागी विक्रेता को एक निजी लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी/सरकारी उपक्रम होना चाहिए ।

vi. विक्रेता को सभी स्रोत–कोड स्पासेस बोर्ड को उपलब्ध करा देना चाहिए।

5. मूल्य बोली प्रपत्र

लोट नं. 1 केलिए : सोफ़्टवेयर और वारंटी की लागत

#	मद	कुल लागत –रुपयों में
क	कुल परियोजना लागत (वारंटी की लागत को छोडकर)	
ख	**पहले साल केलिए वारंटी लागत**	
ग	**दूसरे साल केलिए वारंटी लागत**	
घ	**तीसरे साल केलिए वारंटी लागत**	
ङ	**(क) से (घ) तक केलिए कुल लागू कर, रुपयों में**	

प्रयुक्त फ़ॉर्मुला : क+ख+ग+घ+ङ

नोट 1 : (क) से (ङ) तक की मदों के योग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

नोट 2 : वारंटी में साइट पर सेवा समर्थन के साथ (जब कभी आवश्यक हो/बुलाने पर) सभी खराबियों को ठीक करने तथा छोटे-मोटे बदलाव की मांग शामिल हैं।

6. प्रदेय परियोजना

- सोफ़्टवेयर और किसी तीसरे पक्ष के लाइब्ररीस का स्रोत कोड। (यदि स्रोत कोड के किसी प्रकार एनकोडिंग/एन्क्रिप्शन हुआ है तो, मूल स्रोत कोड बिना किसी प्रकार के एनकोडिंग/एन्क्रिप्शन के, स्पाइसेस बोर्ड को प्रदान करना होगा।
- सिस्टम प्रलेखन और उपयोगकर्ता मैनुअल
- उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और कार्यान्वयन

नोट 1 : किसी भी तीसरे पक्ष के लाब्ररीस/कोड/प्लग-इन का प्रयोग यदि किया गया है तो , वह अनिवार्यत: ऑपन सोर्स में होना चाहिए ।

नोट 2 : इस परियोजना केलिए कोई भुगतान सेवा ली जाती है तो लाइसेंस अनिवार्यत: स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर होना चाहिए।

7. बोली–पूर्व बैठक

निविदा में भाग लेने की इच्छा रखनेवाले सभी बोलीदाता, बोर्ड कक्ष, स्पाइसेस बोर्ड, सुगन्ध भवन, एन एच बाई पास, पालारिवट्टम, कोचीन–25 में एन आई टी में सूचित बोली–पूर्व तारीख व समय पर आयोजित होनेवाली बोली–पूर्व बैठक में भाग ले सकते हैं।

8. स्पष्टीकरण

किसी भी स्पष्टीकरण केलिए, उप निदेशक(ई डी पी) से 91–484–2333603/ jijesh.das@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

9. वारंटी

साइट पर सेवा समर्थन के साथ (जब कभी आवश्यक हो/बुलाने पर) तीन साल की वारंटी ज़रूर प्रदान की जानी चाहिए और वह लागू होने की तारीख से प्रारंभ होगी। विक्रेता को, जब ऐप्लिकेशन वारंटी के अधीन हो, साइट पर सेवा समर्थन के साथ (जब कभी आवश्यक हो/बुलाने पर) सभी खराबियों को ठीक करना तथा छोटे–मोटे बदलाव की मांग पूरा करना होगा।

10. महत्वपूर्ण अनुदेश

यह स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची का एक इ–खरीद प्रयास है। इ–खरीद सेवा प्रदाता एम एस टी सी लिमिटेड, 225 सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकात्ता–700020 है। आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के निबंधन व शर्तों को पढें। दस्तावेज़ी प्रमाण (जहां कही भी अपेक्षित हो) के साथ शर्तों का पालन न करनेवाले निविदाकार मूल्य बोली खोलने की निविदा में योग्य नहीं होंगे।

अधिक जानकारी केलिए **अनुबंध– 2** का हवाला लें।

11. निविदा की समय सारणी

1	निविदा का प्रकार	इ-प्रापण प्रणाली (एम एस टी सी लि. के https://www. mstcecommerce .com/eprochome/spiceb के ज़रिए ऑन-लाइन पार्ट-1 - प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक बोली एवं पार्ट-II मूल्य बोली)
2	संव्यवहार फ़ीस नोट: कृपया नोट करें कि विक्रेता को एम एस टी सी लि., कोलकाता के नाम संव्यवहार फ़ीस चुकाने के बाद ही ऑन-लाइन इ-निविदा में अभिगम होगा।	7,670/- रुपए (18% की दर पर जी एस टी सहित) एम एस टी सी लिमिटेड के नाम संव्यवहार फ़ीस का भुगतान (खंड 4, अनुबंध 2 देखें) (संव्यवहार फ़ीस और संबंधित बैंक चार्ज बोली लगानेवाले के द्वारा चुकाया जाना है)

3	बोली आरंभ तारीख व समय	09/07/18, दोपहर बाद 4.00 बजे
4	बोली-पूर्व तारीख व समय	09/07/2018 सुबह 10.00 बजे
5	बोली समापन तारीख व समय	22/07/18, दोपहर 12.00 बजे
6	पार्ट1(अर्थात् प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक बोली) को खोलने की तारीख व समय	23/07/18, सुबह 10.00 बजे

12. बयाना जमा (ई एम डी)

बोलीदाताओं द्वारा निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड " के नामे बनाए कोच्ची में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,60,000/– रुपए का समतुल्य बयाना जमा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यह बयाना जमा तीन महीनों तक वैध रहेगा । बयाना जमा के रूप में बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।

सरकार द्वारा बयाना जमा के भुगतान से विनिर्दिष्ट छूट न दी गई हो और उसका कारण और प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो तो, बयाना जमा के बिना प्रस्तुत की गई प्रौद्योगिक बोली का निरसन किया जाएगा।

निविदा खोलने की तारीख से 45 दिनों के अंतर्गत असफल बोलीदाताओं को बयाना जमा (बिना ब्याज के) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सफल बोलीदाता को बयाना जमा की प्रतिपूर्ति (बिना ब्याज के) कार्य–आदेश की स्वीकृति की 30 दिनों के बाद और "ठेका निष्पादन गारंटी" की प्रस्तुति के बाद की जाएगी।

यदि विक्रेता द्वारा अपनी निविदा की विधिमान्यता की अवधि के अंतर्गत अपनी निविदा वापस लिए जाने या उसका संशोधन किए जाने या निविदा का किसी भी प्रकार का अनादर किए जाने की स्थिति में बयाना जमा जब्त किया जाएगा।

बयाना जमा को, ऊपर "*सोफ़्टवेयर के विकास केलिए बयाना जमा* " लिखे हुए मोहर बंद लिफ़ाफ़े में, स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ दस्ती के ज़रिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निविदा प्रस्तुति के अंतिम समय पर या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए:

उप निदेशक (ई डी पी)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन
एन एच बै पास, पालारिवट्टम, कोचीन – 25
टेली : +91–484–2333603 , इ–मेइल : jijesh.das@ nic.in

13. निष्पादन गारंटी

क. ठेका निष्पादन गारंटी

सफ़ल बोलीदाता को कार्य आदेश की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर, कार्य आदेश की स्वीकृति की तारीख से 18 महीनों की अवधि केलिए वैध, बिना शर्त की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में, ठेका– मूल्य के 10% के समतुल्य (मद संख्या 1,2,3 और 4, अनुच्छेद 5 के योग का 10%) एक ठेका निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

ठेका निष्पादन गारंटी, परियोजना की सफ़ल पूर्ति के बाद ही (वारंटी अवधि को छोडकर) सफ़ल बोलीदाता को वापस की जाएगी।

कार्य आदेश की स्वीकृति के 18 महीनों के भीतर यदि सफ़ल बोलीदाता परियोजना पूरा करने में चूक जाने पर ठेका निष्पादन गारंटी को नकद बनाया जाएगा।

ख. वारंटी निष्पादन गारंटी

सफ़ल बोलीदाता को, परियोजना पूरा होने के बाद तीन वर्ष की अवधि केलिए वैध, बिना शर्त की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में, ठेका मूल्य के 10% के समतुल्य (मद संख्या 1,2,3 और 4, अनुच्छेद 5 के योग का 10%) एक वारंटी निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

वारंटी निष्पादन गारंटी, परियोजना की सफ़ल पूर्ति के तीन वर्षों के बाद ही (वारंटी अवधि को छोडकर) सफ़ल बोलीदाता को वापस की जाएगी।

धारा 8 के अधीन वर्णित किए अनुसार वारंटी अवधि के अधीन वारंटी प्रदान करने में सफ़ल बोलीदाता की चूक हो जाने पर वारंटी निष्पादन गारंटी को नकद बनाया जाएगा।

14. भुगतान–निबंधन

क) सोफ़्टवेयर अपेक्षित दस्तावेज़ और डिज़ाइन दस्तावेज़ के अनुमोदन के बाद कुल परियोजना लागत का 25% (क्रम संख्या 1, धारा 5), समतुल्य राशि केलिए 18 महीनों की अवधि केलिए वैध, बिना शर्त की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के अधीन (*यदि क्रेता, परियोजना पूरा करने में चूक जाता है तो, स्पाइसेस बोर्ड बैंक गारंटी तुडाने का अधिकार रखता है।*)

ख) परियोजना की सफ़ल पूर्ति के बाद (वारंटी अवधि को छोडकर) कुल परियोजना लागत का 50% (क्रम संख्या 1, धारा 5)

ग) परियोजना की सफ़ल पूर्ति के एक महीने के बाद (वारंटी अवधि को छोडकर) और एस टी ओ सी प्रमाणपत्र के अधीन, धारा 11.ख में संसूचित अनुसार वारंटी निष्पादन गारंटी की प्रस्तुति पर, कुल परियोजना लागत का 25% (क्रम संख्या 1, धारा 5)।

घ) प्रत्येक वार्षिक वारंटी अवधि के अंत में वारंटी लागत

15. निर्णीत हर्ज़ाना

यदि विक्रेता निर्धारित समय सारणी के भीतर विलंबित, अधूरा, अपर्याप्त एवं अवरोध सेवाएं प्रदान करता है, बोर्ड, ठेके के तहत अपने अन्य उपचारों के प्रति किसी पूर्वधारणा के बिना, निर्णीत हर्ज़ाना के रूप में, प्रत्येक सप्ताह की देरी के लिए कुल परियोजना लागत (क्रम संख्या 1, धारा 5) के 0.5% के बराबर की राशि या उसका एक हिस्सा, अधिकतम कुल ठेका– मूल्य का 5% तक, ठेका–मूल्य (क्रम संख्या 1, धारा 5) से कम करेगा। एक बार अधिकतम स्तर तक पहुंच जाए, बोर्ड ठेके के निबंधनों के अनुपालन में ठेके के रद्दकरण पर विचार करेगा।

16. अन्य निबंधन व शर्तें

1. निविदा में किसी सह-व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सफ़ल विक्रेता कार्य-आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही कार्य आदेश स्वीकार करेगा , इसमें चूक होने पर बयाना जमा ज़ब्त किया जाएगा और कार्य आदेश रद्द किया जाएगा।
3. सफ़ल विक्रेता कार्य-आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीनों के भीतर सोफ़्टवेयर अपेक्षित दस्तावेज़ तथा डिज़ाइन दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा, जिन्हें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। यदि बोर्ड, उपर्युक्त दस्तावेज़ों से संतुष्ट नहीं है तो, बोर्ड ठेके को रद्द करने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में, बयाना जमा ज़ब्त किया जाएगा । वैसे, कार्य-आदेश स्वीकार करते समय प्रस्तुत की गई ठेका निष्पादन गारंटी वापस की जाएगी।
4. कार्य-आदेश ज़ारी करने के 10 महीने के भीतर परियोजना पूरी हो जानी चाहिए। समय पर विलंब होने से धारा 13 के अधीन विवरण दिए अनुसार निर्णीत हर्ज़ाना देना पडेगा।
5. प्रस्तुति केलिए निर्धारित समापन- समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदा, उसे प्रस्तुत की गई तारीख के बाद कम से कम तीन महीने तक भी अनिवार्यत: वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान बोलीदाता से, उन्हें सौंपे गए कार्य केलिए प्रस्तावित पेशेवर स्टाफ़ उपलब्ध रखने का आग्रह किया जाता है। इस अवधि के भीतर ही स्पाइसेस बोर्ड निविदा पर निर्णय लेने का पूरा प्रयास करेगा। यदि स्पाइसेस बोर्ड, प्रस्तावों की वैध अवधि का विस्तार करना चाहे तो, उससे असहमत बोलिदाता को अपने प्रस्तावों की वैधता का विस्तार नहीं करने का अधिकार रहता है ।

अनुबन्ध–1

पंजीकरण व अनुज्ञापन, अनिवार्य लदान – पूर्व नमूनन, जांच, स्टफ़िंग एवं अनुवर्ती कार्रवाइयां (निर्यात समर्थन सिस्टम ई एस एस) व्यापार सूचना प्रणाली ,आयातक देशों से रैपिड एलर्ट , आयात : अग्रिम प्राधिकार देना

1.पंजीकरण व अनुज्ञापन

पंजीकरण व अनुज्ञापन बोर्ड के नियामक कार्यों का एक भाग है। बोर्ड इलायची(छोटी व बडी) के व्यापार केलिए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) एवं नीलामकर्त्ता व ब्यौहारी अनुज्ञप्तियां भी जारी करता है। सी आर ई एस एवं ब्यौहारी व नीलामकर्त्ता अनुज्ञप्तियां तीन वर्षों की खण्ड अवधि केलिए, अर्थात 2017–20 केलिए जारी की जाती हैं। वर्तमान तौर पर, स्पाइसेस बोर्ड के (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र [सी आर ई एस] वाले) 6500 पंजीकृत निर्यातक, 613 इलायची ब्यौहारी और 20 नीलामकर्त्ता हैं।

निर्यातक के स्थान के आधार पर निर्यातक व ब्यौहारी पंजीकरण आवेदन प्रादेशिक कार्यालय (आर ओ)/ मुख्यालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। नीलामकर्त्ता अनुज्ञप्ति का आवेदन मुख्यालय द्वारा सीधे स्वीकार किया जाता है। आवेदनों और दस्तावेज़ों की छानबीन निर्दिष्ट कार्यालय करेगा । यदि आवेदन यथाक्रम है, तो इसकी संस्तुति ऑन–लाइन की जाएगी और अपेक्षित दस्तावेज़ों की हार्ड–कॉपी मुख्यालय को अग्रेषित की जाएगी। निर्यातकों को दो प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया गया है, नामत: व्यापारी–निर्यातक और निर्माता–निर्यातक । निर्माता–निर्यातक के पंजीकरण कार्य में बोर्ड के स्टाफ़ द्वारा निरीक्षण निहित है और मुख्यालय को रिपोर्टों की प्रस्तुति अनिवार्य है। छोटी इलायची एवं बडी इलायची केलिए ब्यौहारी व नीलामकर्त्ता अनुज्ञप्तियां अलग से जारी की जाती हैं। नीलामकर्त्ताओं को मैनुअल व इ–नीलामकर्त्ताओं में विभाजित किया जाता है। ब्यौहारी एवं नीलामकर्त्ता अनुज्ञप्ति के जारी करने में भी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण समाविष्ट है।

आवेदन की संवीक्षा पर यदि उसे यथाक्रम नहीं पाया जाता है और किसी अतिरिक्त दस्तवेज़ की ज़रूरत है, तो उसकी सूचना निर्यातकों को दी जाएगी, ताकि निर्यातक आवेदन को पुन: प्रस्तुत कर सके या समर्थक दस्तावेज़ को प्रस्तुत कर सके। पंजीकरण पूरा होने पर/अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर 'युनीक ट्रेडर कोड' प्रदान किया जाता है। निर्यातक–ब्यौहारी व नीलामकर्त्ता अनुज्ञप्ति के एक ही आवेदक को एक ही ट्रेड कोड दिया जाएगा । यदि पंजीकरण पूरा किया जाता है, तो निर्यातक को नमूनन /भराई हेतु सूचन फ़ाइल करने केलिए निर्यात समर्थन सिस्टम (एक्स्पोर्ट सपोर्ट सिस्टम) में प्रवेश पाने की अनुमति / लॉग–इन प्रत्ययपत्र प्राप्त होगा।

यूसर्स, रोल्स व ऐक्टिविटी को निरूपित करने हेतु अलग से 'एड्मिन यूज़र' अपेक्षित है। उसको अपने पंजीकरण मोड्यूल केलिए अपेक्षित खण्ड अवधि, शुल्क वितरण/शुल्क की पुनरीक्षा, कार्यालय एवं अन्य संगत पैरामीटरों को निर्द्धारित करने की भी क्षमता होनी चाहिए।

अनुज्ञापन/पंजीकरण प्रक्रिया की हैसियत एवं प्रगति के बारे में आवेदकों को और एम आई एस प्रयोजनार्थ भी अवगत कराना चाहिए।

नोट :

- यद्यपि निर्यातक विनिर्माण–पंजीकरण केलिए आवेदन देता है, विनिर्माण केलिए दस्तावेज़ों/ सुविधाओं की अपर्याप्तता या अभाव के मामले में, उन्हें व्यापारी–निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- वर्तमान आवेदन से पंजीकरण दित्तों को नए आवेदन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2. अनिवार्य लदान–पूर्व नमूनन ,जांच,स्टफ़िंग एवं अनुवर्ती कार्रवाइयां(निर्यात समर्थन सिस्टम ई एस एस) और स्वैच्छिक नमूनन जांच का परीक्षण

क.अनिवार्य नमूनन व जांच

विशेष देशों को चुने हुए मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात हेतु अनिवार्य लदान–पूर्व नमूनन और जांच अपेक्षित है। यह जांच स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यू ई एल) में की जाती है।

मसालों के निर्यात हेतु अपेक्षित अनिवार्य जांच और विश्लेषणात्मक सेवाएं तथा शुल्क संबंधी विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com में 'गुणवत्ता' शीर्षक के अधीन दिया गया है।

अपेक्षाएं

1. निर्यातक, जिन मसालों का नमूनन किया जाना है / जिन पैरामीटरों की जांच की जानी है, उनके विवरण सहित, निर्धारित (लदान पत्तन के संबंध में) प्रादेशिक कार्यालय /मुख्यालय को ऑन–लाइन द्वारा निर्दिष्ट सूचन भेजेगा। एक सूचन में बहु नमूने समाहित हो सकते हैं। किसी खास देश हेतु किसी नमूने केलिए अपेक्षित अनिवार्य पैरामीटर सिस्टम द्वारा चुन लिया जाएगा। अतिरिक्त जांच यदि अपेक्षित हो, तो निर्यातक द्वारा भी चुन लिया जा सकता है।

2. ऑन–लाइन सूचन की प्राप्ति पर बोर्ड प्रमाणीकृत नमूनन एजेन्सियों को नमूनन का कार्य सौंप देगा और ऑन–लाइन द्वारा नमूनन कार्य के इंतज़ाम केलिए उनको अन्तरित कर दिया जाएगा।

3. ऑन–लाइन सूचन के आधार पर, सौंपा गया काम स्वीकार किया जाना है और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नमूनन–प्रतिमानकों के अनुसार वस्तुगत रूप से नमूने लेते हुए निर्धारित स्थान,तारीख व समय पर नमूनन एजन्सियों द्वारा काम किया जाना चाहिए। नमूनन या कंटेनर स्टफ़िंग के सौंपे गए काम करने लगने के पहले, प्राधिकृत नमूनन व्यक्ति को निर्यातकों के साथ नमूनन/स्टफ़िंग स्थान व समय की पुष्टि यह सुनिश्चित करने केलिए करनी होगी कि सूचन को रद्द नहीं किया गया है, ताकि किसी भी व्यर्थ दौरे से बच जाए। प्राधिकृत अभिकरण व्यर्थ दौरों केलिए दावा नहीं कर सकता।

4. अपेक्षित मसाले विश्लेषण के सत्यापन पर संबंधित निर्यातक से **इ–भुगतान** द्वारा निर्धारित विश्लेषणात्मक चार्ज संगृहीत किया जाना है। ई यू नमूनन विनियम ई सी सं.401/2006 या आई एस ओ 948:1980 या यू एस एफ़ डी ए बी ए एम अध्याय 1 के अनुसार सर्वेक्षक/कों द्वारा नमूनन कार्य किया जाना है। नमूनन अभिकरण को मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए सौंपे गए काम के नमूनन विवरण को अद्यतन करना होगा और अभिकरण द्वारा लिए गए नमूनों सहित बोर्ड के संबंधित कार्यालय के नमूना प्राप्ति डेस्क (एस आर डी) को देने केलिए उसका प्रिंट–आउट लेना होगा।

5. स्पाइसेस बोर्ड की नामोद्दिष्ट गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला /नमूना प्राप्ति डेस्क (एस आर डी) को नमूना, नमूनन रिपोर्ट की दो प्रतियों सहित सर्वेक्षक के मोहरबन्द मुद्रित लिफ़ाफ़े में सूचन की प्रति के साथ उसी दिन अग्रेषित किया

जाना चाहिए। (नमूनों की जांच 'गुणवत्ता विश्लेषण कार्य–गति, रिपोर्टिंग व दस्तावेज़ प्रबन्धन प्रणाली ' के अन्तर्गत आती है।)

6. नमूनन के बाद , प्राधिकृत अभिकरण को लॉट की ढ़ेर लगानी होगी और परेषण रिपोर्ट / टैग जो संलग्न किए जाने हैं, के विवरण सहित निर्यात केलिए नमूनन किए परेषण को मोहरबंद करना होगा । अभिकरण को निर्यात परेषण के स्टफ़िंग के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि ढ़ेर और मोहर को ज्यों का त्यों होना चाहिए।

7. विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिमाह नमूनों की संख्या लगभग निम्नानुसार है:

क्र.सं	क्षेत्र	नमूनों की संख्या (लगभग)
1	केरल और कर्नाटक (सहित)	1200
2	तमिलनाड और पांडिचेरी (सहित)	1500
3	महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश और गोआ (सहित)	1400
4	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	500
5	पश्चिम बंगाल उडीसा एवं उत्तर पूर्व (सहित)	300
6	गुजरात और राजस्थान (सहित)	700
7	दिल्ली,हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर (सहित)	150

नोट: ऊपर सूचित नमूनों की संख्या प्रति माह बदल सकती है।

8.मलेशिया को छोड कर दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी "नमूना निकाला प्रमाणपत्र" (सैम्पिल ड्रोन सर्टिफ़िकेट) जारी करते हुए समुद्र कंटेनर/रेलगाडी वैगन / ट्रक ,जैसे कि मामला हो, में माल लादते वक्त उसके साथ ही साथ नमूना लिया जा सकता है। इस मामले में अलग से कंटेनर स्टफ़िंग का परिवीक्षण अपेक्षित नहीं है, चूंकि परेषण को कंटेनर/ट्रकों में लदान के दौरान नमूना लिया जाता है ।

9. विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की तैयारी । जांच के बाद प्रयोगशाला से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नमूना प्राप्ति डेस्क ऑन–लाइन सिस्टम में विश्लेषण (समाशोधित या असमाशोधित) के परिणाम को अद्यतन बनाएगा। समाशोधित परिणाम के आधार पर निर्यातक ऑन–लाइन के ज़रिए बोर्ड को कंटेनर स्टफ़िंग केलिए अनुदेश भेजेगा, जिसे नामोद्दिष्ट एजेन्सी को सौंपा जाएगा । कुछ मामलों में, इ यू के गन्तव्य स्थानों को भेजने हेतु समाशोधित परेषण केलिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने केलिए निर्यातक आवेदन और शुल्क प्रस्तुत करेंगे। ई यू को चुनी हुई मदों केलिए ही स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लागू है। बोर्ड स्वास्थ्य प्रामाणपत्र जारी करेगा।

10. स्ट्रिफ़िंग पर्यवेक्षण केलिए जाने से पहले सर्वेक्षक द्वारा बोर्ड से मूल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संगृहीत की जानी है। स्टफ़िंग के वस्तुगत पर्यवेक्षण के बाद, कंटेनर संख्या, स्टफ़िंग तारीख आदि का उल्लेख करते हुए निर्यातक को

विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देना होगा और उसकी प्रति बोर्ड को सौंपनी होगी। इसके अलावा, उन्हें स्पाइसेस बोर्ड को ऑन–लाइन द्वारा विनिर्दिष्ट फ़ोर्मैट में स्टफ़िंग रिपोर्ट उसी दिन प्रस्तुत करनी होगी।

11. निर्यातार्थ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी ' समाशोधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट ' के आधार पर ही अनिवार्य मदों (दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों को साबुत मिर्च को छोडकर) का कंटेनर स्टफ़िंग पर्यवेक्षण किया जाना होगा।

12. कंटेनर / रेल्वे वैगन /ट्रक में , जैसा भी मामला हो, स्टफ़िंग पूरा होने पर सर्वेक्षक स्टफ़िंग रिपोर्ट उसी दिन ऑन–लाइन में अद्यतन बनाएंगे।

13. अभिकरण, नमूने लेने और कंटेनर स्टफ़िंग, स्पाइसेस बोर्ड की नामोद्दिष्ट प्रयोगशाला/कार्यालय को नमूना भेजते हुए स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त कर, जो लागू हो, भी चुकाया जाएगा। सिस्टम को मासिक तौर पर अभिकरण द्वारा संगृहीत नमूनों की संख्या और स्टफ़िंग के पर्यवेक्षण केलिए किए दौरों की संख्या पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए। सिस्टम को नमूनन और स्टफ़िंग चार्ज , वाहन चार्ज एवं कोरियर चार्ज के अलग–अलग ब्यौरे के साथ अभिकरणों को मासिक तौर पर किए गए भुगतान संबंधी विवरण बनाए रखना है।

14. भुगतान करते वक्त, बोर्ड नमूनन और स्टफ़िंग चार्जों केलिए लागू टी डी एस की कटौती करेगा।

15. "लॉट" को किसी खास बीजक के गन्तव्य स्थान प्रति निर्यातक उसी मसाला उत्पाद के 25 मी.ट. या उससे कम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि समान मसाला उत्पादों के मिश्रित नमूनों को लिया जाय, तो उसे केवल एक नमूने के रूप में लिया जाएगा। नमूनों की तीन सेट ली जानी हैं, जिनमें से एक सेट स्पाइसेस बोर्ड को और दूसरी सेट संबंधित निर्यातक को भेजनी है।

16. नमूनन अभिकरण की नमूनन/स्टफ़िंग दर दो साल की अवधि केलिए विधिमान्य है। फ़िर भी, प्रशासक द्वारा अभिकरण की समयावधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

17. स्टफ़िंग पर्यवेक्षण चार्ज लॉट के अनुसार होगा। स्टफ़िंग पर्यवेक्षण के मामले में, एक ही कंटेनर (एल सी एल) में एक से भी अधिक निर्यातक का परेषण होता है, तो केवल एक ही स्टफ़िंग पर्यवेक्षण चार्ज केलिए हकदार होंगे। वैसे ही,एक ही निर्यातक के परेषण के अलग–अलग तारीख को एक ही कंटेनर में स्टफ़ किए जाते हैं और उसे एक लॉट के रूप में माना जाएगा। स्टफ़िंग रिपोर्ट स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को ऑन–लाइन(ई एस एस) द्वारा भेजी जानी चाहिए।

18. *नमूनन अभिकरण को सूचन देखने और वास्तविक नमूनन और स्टफ़िंग का विवरण अद्यतन बनाने हेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन का होना अपेक्षित है। मोबाइल को नमूनन करते वक्त रिअल टाइम जी पी एस स्थान विवरण (अक्षांश और रेखांश), नमूनन की तारीख और समय (सेर्वर समय) ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक नमूनन सूचन केलिए क्यू आर कोड बनाया जाता है। सर्वेक्षक को पोर्टबिल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल से लिए गए नमूने के लिफ़ाफ़े पर चिपकाने और लिफ़ाफ़े को मोहरबंद करने केलिए क्यू आर कोड प्रिंट करने की क्षमता होनी चाहिए। नमूनन सूचन आई डी, निर्यातक कोड, सर्वेक्षक आई डी और नाम, नमूनन तारीख और समय का विवरण तथा जी पी एस कोर्डिनेटर का इस क्यू आर कोड से पता लगाने में समर्थ होना चाहिए। जी पी एस कोर्डिनेटरों का*

स्टफ़िंग केलिए भी ग्रहण किया जाना चाहिए। नमूनन/स्टफ़िंग की फ़ोटो/वीडियो संक्षिप्त रूप में अपलोड करने केलिए प्रावधान अपेक्षित है।

19. अनिवार्य जांच के अधीन समाशोधित परेषण ही निर्यात हेतु अनुमत होंगे; अन्यथा, निर्यातकों को परेषण का **निर्यात न करने** का अनुदेश दिया जाएगा और उन्हें जांच किए गए गुणवत्ता–पैरामीटर और जांच में प्राप्त मूल्य के आधार पर परेषण को बरबाद करने को बताया जाएगा। परेषण की बरबादी के मामले में, अनुवर्ती कार्रवाई का मानीटरिंग किया जाना है।

नोट:

केवल वैध पंजीकरण वाले निर्यातक ही नमूनन केलिए सूचन दे सकते हैं। नमूना प्राप्ति डेस्क के पदाधिकारी (बोर्ड के पदाधिकारी) अन्य प्रादेशिक कार्यालयों के नमूनन सूचन को छांटने और देखने में समर्थ होना चाहिए।

रिपोर्ट को डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित करने का प्रावधान अपेक्षित है।

नए सिस्टम में प्रत्येक निर्यातक के वर्तमान खाता–शेष को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है।

<u>सिस्टम स्तर की अपेक्षाएं</u>

1. ई एस एस मोड्यूल के यूसर्स, रोल्स और ऐक्टिविटिस को परिभाषित करें ।

2. प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के अधीन सर्वेक्षक–अभिकरण का प्रबंध करें ।

3. देश,क्षेत्र,मसाले उत्पाद, प्रत्येक देश/क्षेत्र केलिए अनिवार्य जांच पैरामीटर *, जांच केलिए शुल्क को परिभाषित/संशोधित करें।

4. निर्यातक से नमूनन/स्टफ़िंग सूचन केलिए समय तय करने, नमूनन/स्टफ़िंग अभिकरण को काम सौंपने का प्रावधान और अभिकरण द्वारा स्वीकृति

5. सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ' **असमाशोधित**' नमूनों से जुडे नमूनन,स्टफ़िंग सूचन से जुडे सभी विवरण व रिपोर्ट रैपिड एलर्ट एवं पत्र–व्यवहार /अनुवर्ती कार्रवाइयां देखना

6. अ)विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, आ) पैरामीटर,निर्यातक, मसाला,गन्तव्य राष्ट्र, प्रादेशिक स्तर या कुल नमूनों पर उनका सम्मिश्रण और निर्यात हेतु 'असमाशोधित' पर रिपोर्ट, इ) निर्यातकों से देय और निर्यातक द्वारा किया गया अग्रिम भुगतान पर रिपोर्ट तैयार करना।

7. निर्यातकों से विश्लेषणात्मक शुल्क की प्राप्ति केलिए बीजक/बिल और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की तैयारी

8. विश्लेषणात्मक शुल्क एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र शुल्क, वाहन एवं कोरियर चार्जों केलिए नमूनन अभिकरण को भुगतान और नमूनन/स्टफ़िंग शुल्क के समाशोधन तथा जी एस टी विवरणी केलिए रिपोर्ट की तैयारी

9. नमूनन ,विश्लेषण,स्टफ़िंग तथा प्रमाणपत्रों को जारी करने की स्थिति एवं उसकी प्रगति को देखना।

*** 5 मी.ट. से अधिक और 5 मी.ट. से कम के परेषणों हेतु प्रत्येक जांच पैरामीटर केलिए दो अलग–अलग विश्लेषणात्मक शुल्क लागू हैं।**

आ) **स्वैच्छिक नमूना जांच**

गुणवत्ता की जांच केलिए किसानों,निर्यातकों,बोर्ड के कार्यालयों आदि से भी नमूने प्राप्त होते हैं। ऐसे नमूने ' नमूना प्राप्ति डेस्क ' द्वारा प्राप्त करते हुए जांच हेतु संबंधित गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। किसानों के नमूनों

केलिए विश्लेषणात्मक शुल्क में कटौती दी जाती है। बोर्ड के कार्यालयों से प्राप्त नमूनों केलिए विश्लेषणात्मक शुल्क में छूट दी जाती है। अन्य स्वैच्छिक नमूनों केलिए अनिवार्य नमूने के विश्लेषणात्मक शुल्क के बराबर है, जो 5 मी.ट. से अधिक के परेषण केलिए लागू है।

3. व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र उत्पादन, नीलामी, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, वैश्विक क्षेत्र एवं उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आदि से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसारण केलिए जिम्मेदार है।

अपेक्षा: निम्नलिखित केलिए दित्ताबेस अनुरक्षण, इन्दराज, अद्यतन बनाना, आंकडा–विस्थापन, रिपोर्ट

1. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत विवरणी – प्ररूप ख,ख 1,ख 2 (निर्यात,खरीद व आयात)
2. क्षेत्र और उत्पादन–राज्यवार

4. आयातक देशों से "रैपिड एलर्ट" और अनुवर्ती कार्रवाइयां

आयातक देश, जब आयात किए जा रहे उत्पाद अपनी खाद्य सुरक्षा विधि और विनियम का पालन नहीं करते हैं, तो रैपिड एलर्ट/आयात एलर्ट जारी करते हैं। ऐसे मामलों में, स्पाइसेस बोर्ड को सिस्टम के एलर्ट विवरण को अद्यतन बनाना होगा और निर्यातक से स्पष्टीकरण रिपोर्ट मांगना और कृत कार्रवाई को अद्यतन बनाना जैसी अनुवर्ती कार्रवाई करनी है। रैपिड एलर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मासिक तौर पर मंत्रालय को भेजी जाती है।

पिछले रैपिड एलर्ट जारी करने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के अन्तर्गत यदि किसी निर्यातक को बार–बार रैपिड एलर्ट मिल जाते हैं तो, सिस्टम को निर्यातक को चेतावनी पत्र देने और निगरानी निरीक्षण चलाने तथा मूल कारण विश्लेषण केलिए घटना के प्रति सचेत बनाना चाहिए। पिछले रैपिड एलर्ट के जारी करने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के अंतर्गत निर्यातक को तीन से भी अधिक रैपिड एलर्ट प्राप्त होता है, तो निर्यातक पर खास देशों को 30 दिनों केलिए निर्यात करने से प्रतिबंध लगाया जाएगा।

5 आयात प्राधिकार देना

मूल्यवर्द्धित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं पुन: निर्यात केलिए आयात किए गए परेषणों से सीमाशुल्क द्वारा नमूने लिए जाते हैं। स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के नमूना प्राप्ति डेस्क में, प्रविष्टि का बिल संख्या व तारीख, अग्रिम अनुज्ञप्ति/प्राधिकार देना संख्या व तारीख, अनुज्ञप्ति की श्रेणी, जांच ज्ञापन संख्या और सी एच ए/आयातक (भारतीय निर्यातक जो मूल्यवर्द्धन और पुनर्निर्यात केलिए मसालों का आयात करता है) नाम, अनुज्ञापन अभिकरण का नाम, आयातित मद, आई टी सी एच एस कोड, मात्रा, मात्रा की इकाई, स्रोत देश,निर्धार्य मूल्य, पैरामीटर जिनका मूल्यांकन किया जाना है, जांच तरीका, निर्यातक द्वारा दावा की गई उपज, सी आई एफ़ रुपए, सी आई एफ़ यू एस डोलर, डी जी एफ़ टी फ़ाइल संख्या, समर्थक विनिर्माता (वही निर्यातक या और कोई) का नाम व पता, इकाई का प्रकार, पंजीकरण संख्या व तारीख, पंजीकरण–पत्तन, पुनर्निर्यात अवधि जैसे विवरण सहित सीमाशुल्क एवं आयातक(भारतीय निर्यातक) के दस्तावेज़ सहित मूल्यवर्द्धन पर उपज के मूल्यांकन हेतु बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में विश्लेषण केलिए एक ही अनुज्ञप्ति के बहु–नमूने प्राप्त होते हैं।

एस आर डी, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला (कोच्ची या किसी या अन्य प्रयोगशाला) को नमूने सौंप देता है। विश्लेषणात्मक परिणामों की प्राप्ति पर, उपज केलिए आकलित भारित औसतन और निर्यातक द्वारा दावा की गई उपज के साथ तुलना की जाती है। आयातक को प्रति के साथ उच्चतम उपज प्रतिशत [निर्यातक द्वारा दावा किया गया अधिकतम उपज प्रतिशत और प्रयोगशाला में विश्लेषण से प्राप्त उपज] की सिफ़ारिश के साथ सीमाशुल्क को पत्र जारी किया जाता है।

जैसे कि अनिवार्य नमूनों के मामले हैं, विश्लेषणात्मक शुल्क संगृहीत करने केलिए विश्लेषण हेतु बीजक निर्यातक के नाम पर तैयार किया जाता है।

निर्यातक द्वारा चलाई गई मूल्यवर्द्धन प्रक्रिया, निर्यात का महीना, मात्रा एवं मूल्य के साथ देश, जिसको पुन: निर्यातित है, इति स्टोक, जैसे पुन:निर्यात विवरण, मूल्यवर्द्धन की प्रक्रिया के ज़रिए जनित अपशिष्ट/व्ययित/ तेल निकाले गए मसालों का विवरण, प्रत्येक अनुज्ञप्ति केलिए उत्पादित, निर्यातित, घरेलू विपणि को बिका एवं आन्तरिक खपत; यदि कोई हो, की कुल मात्रा का भी प्रलेखन अपेक्षित है।

6. **गुणवत्ता विश्लेषण कार्य–गति,रिपोर्टिंग व दस्तावेज़ प्रबन्धन प्रणाली (क्यू यू ए डी एम ए एस)**

वर्तमान में, भारत भर स्पाइसेस बोर्ड की सात गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं(क्यू ई एल) हैं, जो दो काम निष्पादित करती हैं : अ) भारत से निर्यातित मसाला परेषणों की अनिवार्य निरीक्षण जांच के ज़रिए बोर्ड के नियामक कार्यकलाप चलाना और, आ) ग्राहकों द्वारा सीधे प्रस्तुत मसालों व मसाले उत्पादों के नमूनों का विश्लेषण जांच–पैरामीटर की सूची के आधार पर चलाना। प्रस्तावित सोफ़्टवेअर, जिसकेलिए निविदा आमंत्रित की जा रही है, इन प्रयोगशालाओं के **सभी कार्यकलापों और प्रवर्तन के प्रबन्धन में सक्षम होना चाहिए**, जिसकी विस्तृत रूपरेखा नीचे दी जाती है। प्रयोगशाला के विविध प्रवर्तनों के कार्यप्रवाह का विस्तृत विवरण संलग्न है।

I. सामान्य

1. वर्तमान में, सात गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं प्रवृत्त हैं। भविष्य में अन्य गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और प्रयोगशाला के नेटवर्क में शामिल की जाएंगी, तथा सोफ़्टवेयर को इन नई प्रयोगशालाओं को बिना कोई रोक–टोक एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।

2. प्रयोगशाला मसालों व मसाला उत्पादों के विविध पैरामीटरों का विश्लेषण करती है, और ये विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत आ जाते हैं, उदा: भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजैविक तथा अवशेषात्मक पैरामीटर । सोफ़्टवेयर को इन्हें अलग से संसाधित करने की क्षमता होनी चाहिए।

3. पैरामीटरों और उप पैरामीटरों के विवरण, विश्लेषण केलिए अपेक्षित नमूनों की मात्रा, विश्लेषण केलिए लगनेवाले दिन, विश्लेषण की लागत आदि विवरण सहित ऐसे पैरामीटरों(जिसमें से प्रत्येक को उप पैरामीटर हो सकते हैं), जिनकी मसालों व मसाले उत्पादों केलिए जांच की जा सकती है, की एक मानकीकृत सूची है।

4. विभिन्न गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं, मुस्तैदी के अपने–अपने स्तर के आधार पर, विविध हद तक जांचों की यह सूची अमल में लाने में सक्षम होंगी। सोफ़्टवेयर को प्रत्येक प्रयोगशाला की जांच को अमल में लाने की भिन्नताओं के हस्तन में सक्षम होना चाहिए।

5. ये सभी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं आई एस ओ 17025 प्रत्यायन के कार्यान्वयन और अनुरक्षण की तलाश में है। यह प्रत्यायन 1–2 वर्ष के चक्रों में होता है, और प्रत्यायन के प्रत्येक चक्र द्वारा शामिल पैरामीटर(विश्लेषण की संभावना) प्रत्येक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला केलिए भिन्न होंगे। सोफ़्टवेयर को प्रत्येक प्रयोगशाला केलिए प्रत्यायन चक्रों के प्रबन्धन में सक्षम होना चाहिए।

6. प्रत्येक प्रत्यायन चक्र के अन्तर्गत आनेवाले विश्लेषणात्मक पैरामीटरों की गुंजाइश प्रत्येक प्रयोगशाला में अलग–अलग हो सकती है । सोफ़्टवेयर को प्रत्यायित एवं अप्रत्यायित पैरामीटरों को पृथक–पृथक संशोधित करने की क्षमता होनी चाहिए।

7. प्रत्येक प्रयोगशाला केलिए प्रत्यायन (परिणामों के आधार पर) निष्कर्ष पर आधारित पैरामीटरों के विविध समूहों केलिए प्राधिकार प्राप्त हस्ताक्षरकर्त्ता होंगे। प्राधिकार प्राप्त हस्ताक्षरकर्त्ता की सूचि परिवर्तन के अधीन है। प्राधिकार प्राप्त ये हस्ताक्षरकर्त्ता ही प्रत्येक प्रयोगशाला से रिपोर्टों को जारी करने को प्राधिकृत कर सकते हैं। सोफ़्टवेयर को, प्राधिकार प्राप्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं की सूची बनाए रखने और पैरामीटरों, जिनपर हस्ताक्षर करने केलिए उनको प्राधिकार प्रदान किया गया है, पैरामीटरों के समूह पर आधारित प्राधिकार केलिए उनके अभिगमन को नियन्त्रित करने की क्षमता होनी चाहिए।

8. चूंकि गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं कागज़ मुक्त नीति अपनाती आ रही हैं,सोफ़्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि प्रयोगशाला के किन्हीं भी प्रभागों के बीच किसी कागज़ के संचलन को कम कर दिया जाय। प्राधिकार प्राप्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं के हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर या अन्य समतुल्य तकनोलजी का प्रयोग करते हुए प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्टों पर लगा दिया जाना चाहिए।

II. प्रशासन

1. प्रयोगशालाएं अपने प्रचालन केलिए तकनीकी और प्रशासनिक कार्मिक – स्थाई एवं अस्थाई – को नियुक्त करती हैं। इन कर्मचारियों के शासकीय पदनाम और सिस्टम तौर पर पदनाम हुआ करते हैं। ये सभी पदाधिकारी विभिन्न प्रचालन हेतु सोफ़्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। सोफ़्टवेयर को पदाधिकारियों से संबंधित विवरण बनाए रखने होंगे। अस्थाई स्टाफ़ केलिए लॉग–इन, लॉग–आउट, ब्रेक, आदि की सुविधाओं सहित उपस्थित का अनुरक्षण सोफ़्टवेयर में किया जाना चाहिए।

2. अभिगम नियंत्रण अधिकार आधारित एप्रोच : प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत विविध प्रकार्य के अभिगम का, अभिगम नियंत्रण सूचियों के प्रयोग से सोफ़्टवेयर द्वारा प्रबन्धन किया जाना है। समान ढंग के प्रकार्यों के अन्तर्गत भी, अभिगम नियन्त्रण के विभिन्न स्तर होंगे – उदाहरण केलिए कोई भी प्रशिक्षु किसी विश्लेषणात्मक निष्कर्ष (जांच–परिणाम) का अनुमोदन या '*सेव किया गया* ' जांच–परिणाम हटा नहीं सकता। अन्तिम रिपोर्ट केवल विनिर्दिष्ट हस्ताक्षरकर्त्ताओं आदि द्वारा ही प्राधिकृत की जा सकती है। प्राधिकारियों के इन स्तरों का प्रबन्धन सोफ़्टवेयर द्वारा किया जाना चाहिए।

3. प्रशिक्षण : प्रयोगशालाएं आन्तरिक और बाहरी प्रशिक्षण देती हैं। प्रशिक्षण मूल्यांकन, प्रशिक्षण अनुसूची, प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधी विवरण, प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, प्रक्रिया के बाद प्रशिक्षु द्वारा प्रचार–प्रसार आदि कार्य सोफ़्टवेयर द्वारा चलाया जाना है।

4. बैठकें : प्रयोगशालाएं आवधिक बैठकें आयोजित करती हैं, उदा: प्रबन्धन पुनरीक्षा। कार्यवृत्त का मसौदा तैयार करना और अनुमोदित कार्यवृत्त का परिचालन सोफ़्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

5. लेखा–परीक्षा : प्रयोगशालाओं की आवधिक आन्तरिक व बाह्य लेखापरीक्षाएं होती हैं। इन लेखा–परीक्षाओं की रिकार्ड, असमविन्यसन की ट्रैकिंग सोफ़्टवेयर के ज़रिए की जानी है।

6. खरीददारी : प्रयोगशाला की सभी खरीददारी(रसायन,उपकरण,अतिरिक्त पुर्जे,उपसाधन,गैस आदि) और उससे जुडे प्रयोगशाला की कार्य–गति का हस्तन सोफ़्टवेयर द्वारा किया जाना है। इनमें मोटे तौर पर प्रयोगशाला स्टाफ़ के द्वारा मांग का प्रस्ताव, उसका अनुमोदन, खरीद–आदेश जारी करना (वार्षिक अनुरक्षण संविदा की स्वीकृति–आदेश सहित दर–संविदा क्रय आदेश से लेकर निविदा आधारित क्रय–आदेश विविध फ़ोर्मैटों में) आदेश दी गई मदों की प्राप्ति, आपूर्तिकर्त्ताओं एवं सेर्वीस प्रोवाइडर आदि का मूल्यांकन आदि शामिल हैं। सोफ़्टवेयर में स्टोक स्टैटस और खाता–बही का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। गंभीर स्टोक–स्तरों के संबंध में पुनरादेश चेतावनी दी जाने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

7. ग्राहक फ़ीडबैक : प्रयोगशाला सावधि अपने ग्राहकों से फ़ीडबैक संगृहीत करके संकलित करती है और लगातार सुधार हेतु उनका एक औजार के रूप में पुनरीक्षण करती है। सोफ़्टवेयर को इस प्रक्रिया के प्रबन्धन की क्षमता होनी चाहिए।

III विश्लेषण कार्य–गति और रिपोर्टिंग

1. विश्लेषणात्मक सेवा : यह प्रयोगशालाओं का आधारभूत कार्यकलाप है। मुख्यत: प्रयोगशाला द्वारा चलाया जानेवाले विश्लेषण दो प्रकार के हैं :

अ. भारत से निर्यातित मसाला परेषणों का अनिवार्य विश्लेषण : इसमें स्पाइसेस बोर्ड के नमूनन एजेंटों द्वारा निर्यात परेषणों से संगृहीत नमूनों का विश्लेषण आता है। निर्यात समर्थन सिस्टम(ई एस एस) के साथ एकीकृत करते हुए बिना किसी त्रुटि के सोफ़्टवेयर द्वारा इस प्रक्रिया का प्रबन्धन किया जाना है। पैरामीटरों की पूर्वनिश्चित सूची से जांच का चयन करना है और विविध देशों की अपेक्षाओं के मुताबिक रिपोर्टों की स्वत: जांच की जानी है तथा विनियमों के अनुपालन की विवरणी, प्रत्येक रिपोर्ट में स्वत: जनरेट करनी है, जिसके आधार पर नियामक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के विश्लेषण केलिए विश्लेषणात्मक दित्तों के साथ, निरीक्षणाधीन परेषण का विवरण भी सोफ़्टवेयर द्वारा संभालना चाहिए।

आ) सीधा ग्राहक नमूनों का विश्लेषण : ये ग्राहकों द्वारा सीधे प्रयोगशालाओं को प्रस्तुत किए जाने वाले नमूने हैं। पूर्व निश्चित सूची (धारा 1, मद 3) के आधार पर नमूने स्वीकार किए जाते हैं। संविदा पुनरीक्षा के भाग के रूप में ग्राहकों के साथ होने वाली बातचीत के रिकार्डिंग केलिए व्यवस्था होनी चाहिए।

2. विश्लेषण कार्य–गति : जांच की अपेक्षाओं को निर्धारित करने के बाद जब कोई नमूना विश्लेषण हेतु (अनिवार्य नमूना या सीधा ग्राहक नमूना) प्राप्त होता है, निम्नलिखित कदमों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें से सभी का सोफ़्टवेयर द्वारा प्रबंधन किया जाना है। यह प्रक्रिया, पीछे और आगे दो क्षेत्रों के बीच बदलती रहती है, अर्थात नमूना प्राप्ति डेस्क और प्रयोगशाला प्रभाग, जो ग्राहक गोपनीयता के सुरक्षण हेतु अपने आप में स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं।

अ. नमूना प्राप्ति व भंडारण (जिम्मेदारी : नमूना प्राप्ति डेस्क)

अ(i) ग्राहक विवरण और भुगतान : नमूना प्रस्तुत करनेवाले ग्राहक के पूरे विवरण, नमूनों केलिए ग्राहक विशेष कोड, विश्लेषणात्मक शुल्क का भुगतान आदि को दर्ज करते हुए इसको संभालना चाहिए।

अ(ii) नमूने का कोडिंग : सोफ़्टवेयर में नमूने की प्रविष्टि पर, नमूने केलिए एक कोड नंबर दिया जाएगा। इससे लेकर रिपोर्ट बनाने तक, नमूना और ग्राहक संबंधी सभी विवरणों को आच्छादित रखना है और शेष की अपनी कार्य–गति के दौरान संदर्भ के रूप में केवल प्रयोगशाला कोड ही होना चाहिए।

अ(iii) नमूना भंडारण : नमूने एक भंडार घर में भंडारित किए जाएंगे जहां पर नंबर डाले रैक और शेल्फ़ होंगे। पहले की प्राप्तियों के रिकोर्डों के आधार पर रैकों और शेल्फ़ों को सौंपने के काम की व्यवस्था सोफ़्टवेयर द्वारा स्वत: की जानी चाहिए।

ख: काम आबंटन और प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक जांच–परिणाम की तैयारी

(उत्तरदायित्व : प्रयोगशाला)

ख(i)काम का आबंटन : विश्लेषण, जिसकी जांच केलिए नमूना स्वीकार किया है, के प्रकार के आधार पर (धारा 1 मद 2), नमूने की प्राप्ति की सूचना, काम अबंटन केलिए लंबित नमूने कोड के रूप में प्रयोगशाला के संबंधित अनुभाग में उपलब्ध होनी चाहिए। इसकेलिए विनिर्दिष्ट नियम होंगे,(उदाहरण केलिए यदि किसी नमूने के सूक्ष्मजैविक और रसायनिक पैरामीटरों की जांच की जानी है, उसे सूक्ष्मजैविकी प्रभाग में ही दृष्टिगोचर होना चाहिए) जिनका प्रबंधन सोफ़्टवेयर द्वारा किया जाना है। प्रयोगशाला के संबंधित प्रभाग का अधीक्षक, प्रयोगशाला के विविध स्टाफ़ को नमूने का आबंटन करेगा। जद कोई स्टफ़्फ़ सदस्य सोफ़्टवेयर में लॉग इन करता है तो उसको देखने केलिए नमूने केलिए आबंटित "लैब कोड " उपलब्ध किए जाने चाहिए, ताकि विश्लेषण शुरू किया जाय।

ख(ii) उप–नमूनन : स्टाफ़ सदस्य जिसको विश्लेषण हेतु नमूना आबंटित किया गया है, वह नमूना–स्टोर के रैक/शेल्फ़ से नमूना हटाएगा, विश्लेषण केलिए विनिर्दिष्ट मात्रा निकालेगा और शेष नमूना उसी रैक/शेल्फ़ में पुन: रखेगा। इस प्रक्रिया को सोफ़्टवेयर द्वारा संभालित किया जाना है।

ख(iii) विश्लेषणात्मक निष्कर्षों का इन्दराज : विश्लेषण पूरा होने पर, सोफ़्टवेयर में परिणामों की प्रविष्टि की जानी है। पूर्व–निश्चित आकलन, क्रोमैटोग्राम के अप्लोड करने का प्रावधान आदि सहित डिजिटल वर्कशीट सोफ़्टवेयर में उपलब्ध होनी चाहिए। इस समय, आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ों सहित विश्लेषण से जुडे सभी विवरण, सोफ़्टवेयर में उपलब्ध होने चाहिए।

ख(iv) परिणामों की पुनरीक्षा और अनुमोदन : परिणाम के 'सेव' किए जाने पर सभी दित्तों का जिस प्रभाग में जांच की जाती है उसके अधीक्षक द्वारा पुनरीक्षा एवं अनुमोदन हेतु ये उपलब्ध होने चाहिए। एक बार अनुमोदित है, तो अनुमोदनकर्त्ता को छोडकर और किसी व्यक्ति द्वारा संशोधित करने के खिलाफ़ उसे 'लॉक' कर दिया जाना चाहिए।

ख(v) ए एस टी ए और एफ़ एस एस ए आई पैरामीटर के अनुसार रिपोर्टिंग केलिए पृथक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट फॉर्मेट अपेक्षित है।

ख(vi) सिस्टम को बदलते इनपुट (दित्ता रेंज, पैरामीटर, मसाला आदि) के आधार पर विभिन्न प्रतिमान संबंधी विविध रिपोर्टों को तैयार करना भी चाहिए। उदाहरण केलिए किसी खास अवधि केलिए समाशोधित नहीं किए गए

नमूनों की संख्या, किसी खास अवधि केलिए परेषणों जो किसी खास पैरामीटर की वजह से समाशोधित नहीं किया गया था, उसकी संख्या।

ग) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट – तैयारी और प्रेषण (उत्तरदायित्व नमूना प्राप्ति डेस्क एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

I. एक प्रयोगशाला प्रभाग में एक बार परिणाम का अनुमोदन होने पर, नमूना प्राप्ति डेस्क में रिपोर्ट की तैयारी केलिए यह नमूना कोड उपलब्ध हो जाता है। इस अनुभाग के स्टाफ़ विविध प्रयोगशाला अनुभागों से नमूनों के उपलब्ध परिणामों के साथ नमूने का मिलान करते हैं और एक अन्तिम रिपोर्ट के रूप में सूचना को इकट्ठा करते हैं ।

II. इस प्रक्रिया के दौरान, नमूने का डीकोडिंग होता है, अर्थात् रिपोर्ट में प्रयोगशाला द्वारा जनरेट किए गए नमूना कोड के साथ ग्राहक द्वारा सौंपा गया वास्तविक कोड प्रदर्शित किया जाता है।

III. एक नमूना कोड में एक बार ऐसे जनेरेट की जाने वाली रिपोर्ट, पुनरीक्षा एवं प्रमाणीकरण केलिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध होती है। प्रत्यायन प्रक्रमण प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को सौंपा गया है(धारा I, मद 7 देखें) और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कदापि सभी पैरामीटरों को प्राधिकृत नहीं कर सकते। (उदा: रसायनविज्ञान केलिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सूक्ष्मजैविकी रिपोर्ट प्राधिकृत नहीं कर सकता और उसके उल्टे भी) सोफ़्टवेयर द्वारा इन नियमों का प्रबंधन किया जाना है।

IV. एक नमूने से संबंधित सभी सूचना प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनरीक्षा केलिए सोफ़्टवेयर में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि सभी जानकारी संतोषजनक है तो, हस्ताक्षरकर्ता रिपोर्ट प्राधिकृत करता है। इस समय, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर रिपोर्ट पर लगाया जाता है और रिपोर्ट के प्रयोगशाला के हिस्से को आगे किसी संशोधन से बचाने केलिए 'लॉक' किया जाता है।

V. नमूना–विशेष सूचना की प्रविष्टि और अंतिम रूप दिया जाना : प्रयोगशाला से एक बार रिपोर्ट प्राधिकृत किए जाने पर, वह परेषण या नमूने के किसी विशेष विवरण की प्रविष्टि के लिए नमूना प्राप्ति डेस्क में उपलब्ध होती है। इस अनुभाग के एक पदाधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

VI. रिपोर्ट के विविध पैरामीटरों के प्रत्यायन स्टैटस को स्पष्टत: सूचित किया जाना चाहिए।

VII. रिपोर्टों का प्रेषण: वैसे एक रिपोर्ट को एक बार अंतिम रूप दिए जाने पर, नमूना प्राप्ति डेस्क के पदाधिकारी द्वारा परेषण से संबंधित अन्य विवरण अभ्युक्तियों में शामिल करने के बाद इ–मेइल या कोरियर द्वारा ग्राहक को भेजा जाना चाहिए।

VIII. अन्तिम रूप दिए जाने पर उन ग्राहकों को एस एम एस/इ–मेइल भेजा जाना चाहिए, जिन्होंने इस सुविधा केलिए पंजीकरण किया है।

घ. विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की अन्य अपेक्षाएं और रिपोर्टों का संशोधन :

I. रिपोर्टों के अवैध संशोधन को रोकने केलिए, रिपोर्टों का बार–कोड या ऐसे समान डिजिटल परिरक्षण सिस्टम होना चहिए।

II. किसी रिपोर्ट केलिए , जो पहले ही ज़ारी की जा चुकी है, तकनीकी कारणों से यदि कोई संशोधन आवश्यक हो जाता है तो, सोफ़्टवेयर में रिपोर्ट के दोनों पाठों को स्पष्टत: सूचित करने और ऐसे संशोधनों का पता लगाने की सुविधा होनी चाहिए।

III. विनिर्दिष्ट फ़ॉर्मैट में रिपोर्टें: कुछ मामलों में, विनिर्दिष्ट प्रथा फ़ॉर्मैट (उदा: एफ़ एस एस ए आई अपेक्षाएं) में रिपोर्टें ज़ारी की जानी हैं। सोफ़्टवेयर में ऐसी प्रथा अपेक्षाएं जब कभी आवश्यक हो, शामिल करने हेतु सुविधा होनी चाहिए।

ङ) नमूनों का निपटान :

I. भिन्न–भिन्न समयावधि केलिए नमूने नमूना भंडारण क्षेत्र में भंडारित किए जाते हैं। विविध नियमों के आधार पर तरह–तरह के नमूनों केलिए भंडारण की अवधि विविध रहेंगी(उदा: अनिवार्य नमूनों का गंतव्य राष्ट्र)। ये भंडारण अवधि नियमों के आधार पर सोफ़्टवेयर द्वारा निर्धारित की जानी है और उसको संभालित किया जाना है।

II. सोफ़्टवेयर को सावधि नमूना निपटारे को सुकर बनाने हेतु नमूनों, जिनका विश्लेषण पूरा किया गया है और जिसने निर्धारित भण्डारण समय का अतिक्रमण किया है, की सूची तैयार करने में सक्षम होना ।

III. **उपकरण अनुरक्षण :**

1. उपकरण प्रवर्तन में लाना: प्रयोगशाला के सभी प्रमुख उपकरणों का पूरा इतिहास सोफ़्टवेयर में संचित करके अद्यतन बनाना चाहिए।
2. पुर्जों और उपसाधनों का ट्रैकिंग: प्रत्येक उपकरण केलिए पुर्जों और उप साधनों के उपलब्ध स्टॉक की सूचि सोफ़्टवेयर में बनाए रखनी चाहिए।
3. उपकरण लॉग्स और निष्पादन पंजी : जैसेकि संगत हो, बनाए रखनी चाहिए।
4. ए एम सी और सर्वीस ट्रैकिंग: उपकरणों की ए एम सी सोफ़्टवेयर में तैयार करके सूचीबद्ध करनी चाहिए। नियत सर्वीस विसिट के अनुस्मारक उपलब्ध होने चाहिए। स्टॉक से पुर्जों या उप साधनों के उपयोग के साथ अप्रत्याशित खराबी दर्ज की जानी चाहिए (ऊपर मद 2 देखें) ।
5. सर्वीस प्रोवाइडरों का मूल्यांकन : सर्वीस प्रोवाइडरों के निष्पादन का मूल्यांकन करने एवं उसे दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए ।
6. आंतरिक और बाहरी अंशांकन : प्रयोगशालाएं संगत उपकरणों का सावधि आंतरिक और बाहरी अंशांकन करती हैं । सोफ़्टवेयर में निम्नलिखित बातों का होना चाहिए।
7. नियत अंशांकन केलिए अनुस्मारक : चौकसी के साथ उपकरणों केलिए अंशांकन सूची तय करना
8. संगत दस्तावेज़ों को अपलोड करने की सुविधा के साथ अंशांकन से जुडे दित्तों की प्रविष्टि

IV रसायनों, आबंधित रसायनों, संदर्भ मानकों एवं गैसों की खरीद

1. रसायनों, आबंधित रासायनिक कांच के बर्तनों, प्लास्टिक बर्तनों और मदों की खरीद अनुमोदित दर के ठेका आपूर्तिकर्त्ताओं से की जाती है। उपकरण अनुरक्षण का सर्वीस या तो खराबी नहीं तो वार्षिक अनुरक्षण ठेके के आधार पर किया जाता है।

2. आबंधित रसायनों और संदर्भ मानकों की प्राप्ति केलिए विनिर्दिष्ट जानकारी ग्रहण करना अपेक्षित है(शुद्धता, समापन तारीख आदि) जिसको सोफ़्टवेयर में उपलब्ध कराया जाना है।

3. स्टोक पंजी और बैंकिंग सोल्यूशन : स्टोक एवं वर्किंग सोल्यूशन की तैयारी और उनके ट्रैकिंग का प्रबन्धन सोफ़्टवेयर के ज़रिए किया जाना चाहिए।

4. रसायनों और संदर्भ स्तरों का जारी रजिस्टर उपलब्ध होने चाहिए।

5. गैस: प्रयोगशाला अपने विश्लेषणात्मक कार्य केलिए विविध उच्च शुद्धतावाली गैसों का इस्तेमाल करती है। सिलिंडर सं.,सिलिंडरों का रीफ़िलिंग, आदि के आधार पर गैस सिलिंडरों के ट्रैकिंग का सोफ़्टवेयर के ज़रिए प्रबन्धन किया जाना चाहिए।

6. आपूर्तिकर्त्ताओं या सर्वीस प्रोवाइडरों की सूची के नवीकरण हेतु वार्षिक तौर पर आपूर्तिकर्त्ता/सेवा मूल्यांकन किया जाता है।

V दस्तावेजन

1. आई एस ओ गुणवत्ता प्रणाली दस्तावेजन

अ. दस्तावेजन संरचना

अ.i. प्रयोगशालाएं आई एस ओ 17025, आई एस ओ 9001 एवं आई एस ओ 14001 जैसे अपने कार्यों केलिए विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों का अनुरक्षण करती हैं ।

अ.ii. प्रत्येक प्रणाली का अपना गुणवत्ता मैनुअल हुआ करता है।

अ iii. मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में नीति मैनुअलों को सविस्तार प्रतिपादित किया जाएगा, जिन्हें,जैसे संगत हो , सिस्टमों के बीच एकीकृत किया जा सकता है या संगत के रूप में इसका पृथकत: अनुरक्षण किया जा सकता है।

अ iv. विश्लेषण की प्रक्रियाओं का अनुरक्षण विश्लेषण के तरीकों के रूप में किया जाता है।

अ v. फ़ार्म एवं अनुदेशों जैसे नए समर्थक दस्तावेज़ होंगे ।

2. बाहरी दस्तावेज़न

अ. प्रयोगशाला अपने कार्य, जो सावधि अद्यतन बनाने की अपेक्षा रखते हैं – उदा: विश्लेषणात्मक संदर्भ मैनुअल, वैधानिक प्राधिकारियों से विनियम आदि, के दौरान कई बाहरी दस्तावेज़ों को काम में लाती है।

आ. बाहरी दस्तावेज़ों का दित्ताबेस सोफ़्टवेयर में बनाए रखा जाना चाहिए और उनके अद्यतनीकरण को ट्रैक करना चाहिए।

इ. प्रयोगशाला स्टाफ़ द्वारा इन दस्तावेज़ों का जारी करना और वापस करना सोफ़्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए।

VI वर्तमान क्वाडमास सोफ़्टवेयर से डेटा पोर्टिंग

पुराने क्वाडमास सिस्टम से नए सिस्टम में डेटा पोर्टिंग अपेक्षाओं केलिए,कार्य–गति के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

अ) नमूना प्राप्ति,काम–आबंटन,विश्लेषणात्मक परिणाम प्रविष्टि, अनुमोदन, रिपोर्ट की तैयारी,प्राधिकार देना और रिपोर्ट सुपुर्दगी जैसी विश्लेषण कार्य–गति से संबंधित सभी दित्ते।

आ) उपकरण से जुडे सभी दित्ते: प्रवर्तन में लाना,अंशांकन(आन्तरिक/बाहरी) उपकरण प्रतिक्रिया,(ए एम सी/खराबी अनुरक्षण/निष्पादन पंजी)

इ) खरीद से जुडे सभी दित्ते : मांग–पत्र, क्रय–आदेश, माल प्राप्ति, सभी दस्तावेज़न दित्ते – कम से कम सभी एस ओ पी और एम ओ ए

ई) स्थायी स्टाफ़ का कर्मचारी–प्रोफ़ाइल और प्रशिक्षण विवरण

उ) कम से कम पांच सालों केलिए अ) से ई) तक के दित्ते जोड देना ज़रूरी है।

महत्वपूर्ण नोट :

सिस्टम को कार्य–गति एवं रिपोर्ट जनरेट करने के सभी स्तरों पर डिजिटल हस्ताक्षर का समर्थन करने वाला होना चाहिए।

विक्रेता,सोफ़्टवेयर की गुणवत्ता केलिए एस टी क्यू सी प्रमाणपत्र लेगा।

अनुबंध-2

1. **इ-निविदा प्रक्रिया**

अ) रजिस्ट्रीकरण : इस प्रक्रिया में मुफ्त एम एस टी सी इ-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर प्रस्तुत कर सकता है/सकते हैं। प्रौद्योगिकी - वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने केलिए इन्टरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग किया जाएगा। विक्रेता को श्रेणी III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता द्वारा इन्टरनेट सहित पी सी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं की जानी है। एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड ऐसी व्यवस्था करने के जिम्मेदार नहीं रहेंगे।(बिना डिजिटल हस्ताक्षर के, बोलियों को दर्ज नहीं किया जाएगा।)

विशेष टिप्पणी : मूल्य-बोली और वाणिज्यिक-बोली ऑन-लाइन द्वारा ***http://www. mstce commerce.com/eprochome/spiceb/buyer_login.jsp*** को प्रस्तुत की जानी है।

4. विक्रेताओं को स्वयं *www. mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU/ Govtdepts. → SpicesBoard → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password → Submit* से ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है।
5. विक्रेता को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए इ-मेइल में अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के साथ सिस्टम जनरेटड मेइल मिल जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क करें (इ-निविदा केलिए निर्धारित समय से पूर्व)।

संपर्क व्यक्ति(एम एस टी सी)

- श्री अर्णब सरकार - मोब: 9986036012 asarkar@mstcindia.co.in
- श्री रवीन्द्रनाथ - मोब: 7676456095 ravindranathkb@mstcindia.co.in

ख) **सिस्टम अपेक्षा:**

8. विंडोज़ 98/एक्स पी-एस पी 3 व उससे बेहतरीन / विंडोज़ 7 ओपरेटिंग सिस्टम
9. आई ई -7 और उससे बेहतरीन इन्टरनेट ब्राउसर
10. साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर
11. सिस्टम में जे आर ई 8 अपडेट 171 और बेहतरीन सॉफ्टवेयर डाउन्लोड करके इन्स्टाल किया जाना है। *ALL* को एनेबल करने केलिए X कंट्रोल सक्रिय बनाएँ और डिसेबिल करने केलिए पॉप-अप ब्लोकर ' *Tools → Internet Options → custom level*' का प्रयोग करें।

---

2. vii. (क) प्रौद्योगिकी -वाणिज्यिक बोली भाग- I एन आई टी में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर खोली जाएगी। बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बोली का खोलना देख सकते हैं।

(ख) मूल्य-बोली,भाग II इलेक्ट्रॉनिक तौर पर केवल उन बोलीदाताओं केलिए खोली जाएगी, जिनकी

	प्रौद्योगिकी - वाणिज्यिक बोली भाग I स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकी - वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाता(ओं) को उनके द्वारा पुष्ट वैध इ-मेइल के ज़रिए भाग I मूल्य बोली को खोलने की तारीख सूचित की जाएगी। **<u>नोट</u>**: बोलीदाताओं को अपनी अधिकतम संभाव्य दर बताने की सलाह दी जाती है। सामान्यत: इस पर कोई परक्रामण नहीं होगा, अत: मूल्य-बोली प्रस्तुत करते समय कृपया अपना सबसे प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत करें। फिर भी, वर्तमान विपणी- स्थितियों पर विचार करते हुए यदि न्यूनतम दर संगत पाई जाती है तो,न्यूनतम बोलीदाता को आदेश जारी किया जा सकता है और उसके बाद भी दर उच्च मानी जाती है, वर्तमान अनुदेश / मार्ग-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
3	निविदा की सभी प्रविष्टियों की, बिना किसी अस्पष्टता के ऑन-लाइन प्रौद्योगिकी व वाणिज्यिक फॉर्मैट में प्रविष्टि की जानी चाहिए।
4	**लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी** : विक्रेता वेंडर लॉग-इन के "*My Menu*" के अंतर्गत "*Transaction Fee Payment*" लिंक का प्रयोग करके लेनदेन-शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता को *Event dropdown box* से नियत निविदा का चयन करना पड़ता है। विक्रेता को या तो एन ई एफ टी द्वारा, नहीं तो ऑनलाइन भुगतान द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। एन ई एफ टी का चयन किया जाता है तो विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता संव्यवहार-शुल्क की राशि का भुगतान चालान में कोई परिवर्तन किए बिना, उसमें छपे विवरणों के अनुसार करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एम एस टी सी के नामित बैंक खाते में भुगतान के एक बार जमा होने पर संव्यवहार - शुल्क स्वत: अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम जनित मेइल प्राप्त होगा। **<u>लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है</u>** संव्यवहार-शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन इ-निविदा का अभिगम नहीं होगा । **नोट:** विक्रेताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व बहुत पहले ही संव्यवहार-शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जैसे कि एम एस टी सी द्वारा संव्यवहार-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही बोली प्रस्तुत करने केलिए उनको सक्रिय बनाया जाएगा। **संपर्क** : फैक्स नं : 033-22831002 इ-मेइल आई ड़ी : rpradhan@mstcindia.co.in बोलीदाता यह नोट करें कि संव्यवहार-शुल्क बोलीदाता के खाते से उनके नामे जमा किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके खाते से उसके नामे जमा किया गया संव्यवहार-शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। संव्यवहार-शुल्क अप्रतिदेय है।

	यदि किसी कारणवश **संव्यवहार**-शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में, विक्रेता उस अवधि में, ऑनलाइन इ-निविदा प्राप्त नहीं कर पाएगा।
5	विक्रेताओं को डोक्यूमेंट लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने केलिए ***My Menu*** के ***Upload Documents*** लिंक का इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है। अपलोड करने हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 4 एम बी है। एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने पर विक्रेताओं को नियत निविदा में ***Attach Document*** के ज़रिए दस्तावेज़ों को जोड़ना चाहिए। आगे सहायता केलिए **वेण्डर गाइड** के अनुदेश देखें।
6	स्पाइसेस बोर्ड तथा एम एस टी सी (इ-प्रोक्यूरमेंट सर्वीस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) केलिए सभी सूचना और पत्राचार केवल इ-मेइल द्वारा भेजे जाएंगे। अत: बोलीदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनको दी गई कॉर्पोरेट इ-मेइल आई डी वैध है और एम एस टी सी (अर्थात् सर्वीस प्रोवाइडर) के साथ विक्रेता के रजिस्ट्रीकरण के समय उसे अद्यतन बनाया जाता है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डी एस सी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
7	(i) कृपया नोट करें कि एन आई टी में बताए वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउन्लोड करने वालों की सूची लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले यह सुनिश्चित करने केलिए एक बार फिर वेबसाइट देखें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउन्लोड किए जाने के बाद उक्त निविदा के संदर्भ में कोई शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है तो वह चूक नहीं गया है। **संबंधित शुद्धिपत्र यदि कोई है तो उसे डाउन्लोड करने का दायित्व डाउन्लोड करनेवालों का रहेगा।** (ii) इस एन आई टी के किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई है) के बारे में कोई अलग सूचना उन बोलीदाता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ों को डाउन्लोड किया है। कृपया एम एस टी सी लिमिटेड का वेबसाइट *http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb* देखें।
8	एन आई टी में बताई नियत तारीख और समय के बाद इ-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
9	**इ-निविदा में बोली लगाना और प्रतिवर्ती नीलामी** क) इ-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र बन जाने केलिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित ई एम ड़ी, निविदा शुल्क (यदि कोई है तो) और **संव्यवहार**- शुल्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा-शुल्क और लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय हैं। ई एम ड़ी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) को उनकी ई एम डी की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को ई एम डी वस्तुगत रूप में भेज दी जानी चाहिए। ख) इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने केलिए इलेक्ट्रॉनिक

	बिडिंग शामिल है। इ) उपरोक्त शुल्क प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता ही एम एस टी सी वेबसाइट ***www.mstcecommerce.com*** →*e-procurement*→*PSU/Govt Depts* → *Spices board Login* →*My menu*→ *Auction Floor Manager*→ *live event* →*Selection of the live event*→ में इन्टरनेट के ज़रिए अपनी प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य-बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। ग) बोलीदाता द्वारा जोखिम उठाते हुए और *on run* क्लिक करके *enApple* नामक एप्लिकेशन को चालू होने दिया जाना चाहिए। *Techno-Commercial bid* पर क्लिक करने के तुरंत बाद लगातार दो बार ऐसा करना चाहिए। यदि ऐप्लिकेशन चालू नहीं है तो बोलीदाता अपनी बोली "*save/submit"* नहीं कर पाएगा। घ) प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद बोलीदाता को अपनी प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने केलिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर, *price bid* लिंक सक्रिय बन जाता है और उसे भर देना चाहिए और तदुपरान्त बोलीदाता को अपनी मूल्य-बोली दर्ज करने केलिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार एक बार प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक बोली व मूल्य-बोली *save* हो जाती हैं, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने केलिए "*submit*" बटन क्लिक कर सकता है। ड.) सभी मामलों में, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी आई डी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। च) पूरी इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे केलिए और हर किसी केलिए भी पूर्णत: अज्ञात रहेंगे। छ) इ-निविदा सुविधा इस केलिए पूर्व-घोषित तारीख व समय से और ऊपर बताए अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी। ज) इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी रहेंगी। बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी बोली वैध बोली मानी जाएगी और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति केलिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी ठेका बनेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे **आपूर्तिकर्त्ता** कहा जाएगा। झ) सभी बोलियाँ अनिवार्यत: डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ञ) विक्रेता निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से, जैसे भी हो, उसका कोई कारण बताए, रद्द या निरस्त या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है। ट) निविदा-दस्तावेज़ के निबंधनों व शर्तों से कोई विचलन अनुमत नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा इ-निविदा सुविधा में बोली की प्रस्तुति निविदा के निबंधनों व शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करती है। ठ) मापन-यूनिट[यू ओ एम] इ-निविदा सुविधा में सूचित है। इ-निविदा सुविधा/ निविदा दस्तावेज़ में सूचित यू ओ एम के अनुसार, कोट की जाने की दर भारतीय रुपए में होनी चाहिए।
10	इस मुक्त इ-निविदा के सिलसिले में जारी कोई आदेश उसमें बताए निबंधनों व शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगा।
11	प्रौद्योगिकी व वाणिज्यिक निबंधनों व शर्तों से विचलन अनुमत नहीं है।

12	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने और एक बार डिजिटल सिग्नेचर के साथ यह प्रस्तुत की गई है, उसके बाद बोलीदाता निविदा प्राप्त नहीं कर सकता।
13	स्पाइसेस बोर्ड , कोच्ची बिना कोई कारण बताए इस इ-निविदा को रद्द करने या बोली(यों) को स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार रखता है।
14	ऑनलाइन निविदा एम एस टी सी लिमिटेड के वेबसाइट http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb में वास्तव में दिए गए निबंधनों व शर्तों व कार्य-विधि के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15	बोलीदाता अनिवार्यत: एन आई टी के निबंधनों के अनुसार सभी दस्तावेज़ों को अपलोड या संलग्न करें। अन्य किसी भी दस्तावेज़ अपलोड किया गया है, जो एन आई टी के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16	बोली का मूल्यांकन भरी हुई प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्यिक फॉर्मैटों के आधार पर किया जाएगा ।
17	बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड व संलग्न किए गए दस्तावेज़ों की संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाए जाने के मामले में, चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) की ई एम डी जब्त कर दी जाएगी। चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) के खिलाफ निलंबन या कारबार से रोक जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
18	एम एस टी सी के इ-प्रोक्यूरमेंट मार्ग-निर्देशों केलिए विक्रेता नीचे दिए लिंक के पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं: http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf